केन्द्रीय सूचना आयोग

कमरा संख्या–329, द्वितीय तल, 'सी' विंग,अगस्त क्रान्ति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066
दूरभाषः– 011–26162662

संचिका संख्या CIC/YA/A/2015/000916

सुनवाई की तिथि	:	23.03.2016
निर्णय की तिथि	:	23.03.2016
वादी	:	**श्री अशोक कुमार** **नन्दनगरी, दिल्ली।**
प्रतिवादी		**केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (पूर्वी अंचल)** **लक्ष्मी नगर, दिल्ली।**
सूचना आयुक्त	**:**	**श्री यशोवर्द्धन आजाद**

द्वितीय अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	:	01.12.2014
पी.आई.ओ. के जवाब की तिथि	:	02.01.2015
प्रथम अपील की तिथि	:	03.01.2015
प्रथम अपीलीय आदेश की तिथि	:	14.01.2015
द्वितीय अपील प्राप्ति की तिथि	:	26.03.2015

मांगी गई सूचना एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा उसका निस्तारण :

प्रार्थी ने उक्त दिनांकित आवेदन के माध्यम से प्राधिकरण के एक डाक्टर की सेवापुस्ति की प्रति की मांग की थी।

संचिका में उपलबध तथ्यों के अनुसार, जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि प्रश्नगत चिकित्सक की सेवापुस्तिका अभी प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है और वैसे भी वांछित सूचना सूचना अधिकार अधिनिमय के अंतर्गत तृतीय पक्ष की सूचना है और बगैर उनकी अनुमति के इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्राप्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील संस्थित की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में प्रदान की गयी सूचना को सही ठहराया।

सुनवाई के दौरान प्राकट्य सुसंगत तथ्य :

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष से डॉ0 एन. डी. जौली, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी आयोग में उपस्थित हुए। प्रार्थी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए और अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की दलील थी कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जाँच करने के लिए कि उस पर प्रश्नगत चिकित्सक का हस्ताक्षर है अथवा नहीं, उन्होंने उनके सेवापुस्तिका की प्रति की मांग की है ताकि इससे पता लग सके कि सर्टिफिकेट के जारी किये जाने के अवधि के दौरान वे उस जगह पर पदस्थापित थे अथवा नहीं। प्रतिवादी पक्ष की दलील थी कि सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है, इसलिए प्रदान नहीं की गयी है।

निर्णय:

संचिका में उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के आलोक में आयोग की मान्यता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्ष की गोपनीय सूचना है और इसे सूचना अधिकार अधिनिमय की धारा 8(1)(जे) के प्रावधान के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, उक्त सूचना मांगने का उद्देश्य प्रार्थी ने यह स्पष्ट किया है कि वे वस्तुतः प्रश्नगत चिकित्सक के प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति अवधि की सूचना चाहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 14 दिनों के अंदर प्रश्नगत चिकित्सक के प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति अवधि की सूचना प्रेषित करें।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

(यशोवर्द्धन आजाद)
सूचना आयुक्त

अधिप्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि, आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ आवेदन एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

(वि0 दा0 नानिवडेकर)
उप–पंजीयक

Copy to:

Central Public Information Officer under RTI
Nodal Officer – East Zone,
O/o of the Additional Director / East Zone,
Central Government Health Services,
East Zone, Laxmi Nagar, Delhi-110092.

First Appellate Authority under RTI
Additional Director / East Zone,
Central Government Health Services,
East Zone, Laxmi Nagar,
Delhi-110092.

Shri Ashok Kumar
S/o. Shri Moti Lal,
A-2/25, Nand Nagari,
Delhi-110093.